संख्या-एस0ई0-684/दस-2002-61(ए)/99

प्रेषक,

श्री माम राज सिंह,
सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
विकासदीप चतुर्थतल (छठाँ लेविल), 22स्टेशन रोड,
लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक :: 27 मार्च,2002

विषय:-स्वंय आहरण-वितरण अधिकारी अथवा प्रतिनियुक्ति पद से सेवा निवृत्त अथवा अन्यथा सेवा से पृथक होने वाले अधिकारी/कर्मचारी के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावे के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का विकेन्द्रीकरण शासनादेश संख्या-बीमा-768/दस-99,दिनांक 16.7.99 द्वारा किये जाने के फलस्वरूप कतिपय प्रकरणों के निस्तारण में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में कृपया अपने पत्र संख्या-सामू0बीमा-लेखा संकलन-निर्देशन-21/4/2001,दिनांक 2.11.2001 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय सामूहिक बीमा योजना के दावों के निस्तारण की निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय समूह बीमा योजना के लिए विकल्प न देकर उ0प्र0 द्वारा संचालित सामूहिक बीमा के विकल्प दिये है तथा प्रशासनिक सिविल सेवा के स्वंय आहरण अधिकारी के दावे उ0प्र0शासन के इरला चेक,वेतन पर्ची प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक,सामू0 बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे।

2- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारी जो प्रादेशिक सिविल सेवा से/भिन्न अन्य प्रादेशिक सेवा संवर्ग से पदोन्नत होकर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ जाते है और उनके द्वारा केन्द्रीय समूह बीमा योजना के लिए विकल्प दिया गया है,कि दावे उनके प्रदेश,संवर्ग से संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा निदेशक,सामूहिक बीमा निदेशालय,उ0प्र0 को प्रेषित किये जायेंगे।

3- अखिल भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना के लिए विकल्प न देकर उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित समूह बीमा योजना

के लिए विकल्प दिये है तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो प्रोन्नत होकर अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हो जाते है, के दावे उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के वित्त नियंत्रक के द्वारा निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0, को निस्तारण हेतु प्रेषित किये जायेगें।

4- अखिल भारतीय वन सेवा के ऐसे अधिकारी, जो केन्द्रीय बीमा योजना के लिए विकल्प न देकर उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित सामूहिक बीमा योजना के लिए विकल्प दिये है तथा प्रादेशिक वन सेवा के ऐसे अधिकारी जो प्रोन्नत होकर अखिल भारतीय वन सेवा के सदस्य हो जाते है, के दावे प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय के वित्त नियंत्रक के द्वारा निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय को निस्तारण हेतु प्रेषित किये जायेगें।

5- वित्त एवं लेखा सेवा के स्वयं आहरण अधिकारी एवं न्यायिक सेवा के स्वयं आहरण अधिकारी के दावे निदेशक, कोषागार (शिविर कार्यालय, इलाहाबाद) के द्वारा निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 को निस्तारण हेतु प्रेषित किये जायेगें।

6- राज्य सरकार के उपरोक्त प्रस्तर-1 से 5 में उल्लिखित संवर्ग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए सेवानिवृत्त अथवा अन्यथा सेवा से पृथक हो जाते है, के दावे प्रस्तर-1 से 5 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार तथा उससे भिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के दावे उनके पैतृक विभागाध्यक्षों के द्वारा निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 को निस्तारण हेतु प्रेषित किये जायेगें।

7- उपरोक्त श्रेणियों से भिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के दावे पूर्ववत शासनादेश संख्या-बीमा-768/दस-99/61/ए/99, दिनांक 16.7.1999 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किये जाते रहेंगें।

8- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 16.7.1999 के साथ संलग्न बी0एम0-12 एवं बी0एम0-13 के स्थान पर योजना संबंधी मासिक प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण संलग्न प्रारूप पर निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राम राज सिंह)
सचिव।

....3

संख्या-एस0ई0-684(1)/दस-2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- 1- श्री राज्यपाल, सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- विधान सभा/विधान परिषद, सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- रेजिडेन्ट कमिश्नर/पे एकाउण्ट आफिस, नई दिल्ली।
5- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 को इस अभ्युक्ति के साथ कि समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारियों/कोषाधिकारियों को तद्नुसार सूचित करें।
7- रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ।
8- निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण व शोध संस्थान।
9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय।
10- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 को 5 प्रतियां कि महालेखाकार-सम्प्रेक्षा (संप्रेक्षा) को भी उपलब्ध करायी जा सके।
11- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, उ0प्र0, 6वां तल, योजना भवन, लखनऊ।
13- संयुक्त निदेशक, कोषागार (सिविल कार्यालय), इलाहाबाद।
14- निदेशक, विभागीय लेखा, उ0प्र0, लखनऊ।
15- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

क्र०सं०	कोषागारों के नाम	पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों को किया गया भुगतान			पुलिस विभाग के कर्मचारियों को किया गया भुगतान			महायोग
		बीमा निधि	बचत निधि	योग	बीमा निधि	बचत निधि	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	5+8

वर्ष ———————— माह ————————

प्रपत्र संख्या-5 (संशोधित)

लेखा शीर्षक- "8011-बीमा तथा पेंशन निधि-107-राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-01-उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-बीमा निधि-0101-पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि-0102-पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि-02-उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-बचत निधि-0201-पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि 0202-पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि"

क्र0सं0	कोषागार का नाम	पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि			पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि			महायोग (5+8 का योग)
		बीमा निधि	बचत निधि	योग	बीमा निधि	बचत निधि	योग	
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8 (6+7)	9

जी0आई0एस0पत्र सं0-15 उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत की जाने वाली अभिदानों की कटौतियों का शेड्यूल

(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा तैयार करके बिल के साथ संलग्न किया जायेगा)

1. लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत कटौतियों को जमा किया जाना है:-
"8011-बीमा तथा पेंशन निधियाँ-107-राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-01-उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-बीमा निधि-0101-पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि-0102-पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि-02-उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-बचतनिधि-0201-पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि-0202-पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि"

2. कोषागार का नाम .....

3. माह ..... के वेतन बिल से, जिसका भुगतान ..... के प्रथम कार्य दिवस को किया जायेगा, की गयी अभिदानों की कटौती का विवरण निम्नवत् है:---

क्रमांक	विभाग/अधिष्ठान का नाम	योजना के अन्तर्गत अभिदाताओं की कुल संख्या				योजना के अभिदान की कटौती की कुल धनराशि			अभ्युक्ति
		पुलिस विभाग को छोड़कर शेष अन्य विभागों के		पुलिस विभाग के					
		समूह "क" के अधिकारी	समूह "ख" कर्मचारी के अधिकारी	समूह "क" के अधिकारी	समूह "ख" कर्मचारी के अधिकारी	बीमा निधि	बचत निधि	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11+10	12
					x x x						

प्रमाणित किया जाता है कि अल्पकालीन रिक्तियों में और भोजनल कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य समस्त नियमित अधिष्ठान में नियुक्त राज्य सरकार के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों से सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित दर से कटौती कर ली गयी है।

आहरण एवं वितरण अधिकारी के समुहर
पदनाम सहित हस्ताक्षर